

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड-(ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन


अधिसूचना सं० 16 / 2015-2020
नई दिल्ली, दिनांक: 02 जुलाई, 2018

विषय: आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची - 1 (आयात नीति) के अध्याय 09 के तहत ताजा अदरक की आयात नीति में संशोधन।

सा.आ.(अ.): समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) 2017 अनुसूची 1 (आयात नीति) के अध्याय 9 के एकिजम कोड 0910 11 10 के तहत निम्नलिखित संशोधन करती है:

एकिजम कोड	मद विवरण	मौजूदा नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
	अदरक:	-	-	-
0910 11	न तो कूचला हुआ और न ही पिसा हुआ	-	-	-
0910 11 10	ताजा	प्रतिबंधित	-	तथापि, नेपाल से पूर्ण रूप से उत्पादित अदरक का आयात व्यापार की भारत-नेपाल संधि के अनुच्छेद iv और v के अधीन मुक्त है।

4. इस अधिसूचना का प्रभाव: एकिजम कोड 0910 11 10 के तहत वर्गीकृत, नेपाल में पूर्ण रूप से उत्पादित ताजा अदरक का आयात 'मुक्त' है।


(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेल: dgft@nic.in

(फा० सं० 01/89/180/विविध-76/एम05/पीसी-II(ख)/पार्ट/खण्ड-III/ई-1938 से जारी)